



2026:AHC-LKO:20532-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या - 2457/2026

राजेंद्र सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग लखनऊ और 4 अन्य
.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता : सुधाकर मिश्रा, राजेश कुमार दुबे

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता : शा.अ.

न्यायालय संख्या - 10

माननीय न्यायमूर्ति रजनीश कुमार

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती. बबीता रानी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री सुधाकर मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. को सुना।
2. वर्तमान याचिका निम्नलिखित मुख्य अनुतोष की मांग करते हुए दायर की गई है:-
 1. न्याय के हित में, 'परमादेश' की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें विपक्षी गणों-विशेष रूप से विपक्षी पक्ष संख्या 2 और 3—को यह आदेश दिया जाए कि वे संज्ञेय अपराधों से संबंधित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और आदेश (जो संलग्नक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



संख्या-2 के रूप में संलग्न है) के सिद्धांतों और टिप्पणियों का पालन करें।

II. न्याय के हित में, 'परमादेश' की प्रकृति का एक रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें विपक्षी गणों-विशेष रूप से विपक्षी संख्या 2 और 3—को यह आदेश दिया जाए कि वे दिनांक 22.6.2025 की पुलिस आख्या को एक 'जांच आख्या' के रूप में मानें और विपक्षी संख्या 4 और 5 के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ करें।

3. विद्वान अ.शा.अ. ने एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई है कि याचिका में की गई प्रार्थनाएँ अस्पष्ट हैं और इस न्यायालय द्वारा उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता; वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहता है, जिसके लिए वह इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के निर्णय **वसीम हैदर बनाम उ०प्र० राज्य और अन्य; (2021) 2 ए.डी.जे. 86** के आलोक में संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क कर सकता है।
4. विद्वान अ.शा.अ. द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति पर कि याचिकाकर्ता के पास 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट से संपर्क करने का वैधानिक और वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, इसलिए यह याचिका पोषणीय नहीं है; याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस बात का खंडन नहीं कर सके और उन्होंने भी '**वसीम हैदर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य**' (2021) 2 ए.डी.जे. 86 के मामले में दिए गए उपर्युक्त निर्णय पर ही भरोसा जताया।
5. **वसीम हैदर (उपरोक्त)** के मामले में दिए गए निर्णय के संबंध में, विद्वान अ.शा.अ. ने यह निवेदन किया है कि उस मामले में भी, इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने, **ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ए.आई.आर.2014 एस.सी. 187** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार करने के पश्चात्, प्रस्तर- 45 में यह टिप्पणी की है कि शिकायतकर्ता/पीड़ित के पास



दं.प्र.सं. की धारा 156(3) के अंतर्गत उपचार उपलब्ध है, और दं.प्र.सं. की धारा 154 के अंतर्गत सांविधिक कर्तव्य के पालन हेतु 'परमादेश' की प्रकृति का निर्देश प्राप्त करने के लिए, सामान्यतः रिट याचिका दायर नहीं की जानी चाहिए। **वसीम हैदर (उपरोक्त)** मामले के निर्णय का प्रस्तर 45 यहाँ नीचे उद्धृत किया गया है:-

"45. समापन से पूर्व, उपर्युक्त चर्चा और विश्लेषण के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को, सुलभ संदर्भ और सुविधा हेतु, नीचे उद्धृत किया गया है :-"

(1) पुलिस को दं.प्र.सं. की धारा 154 के तहत अपने कानूनी कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने वाली 'परमादेश रिट' को, शिकायतकर्ता/पीड़ित को इसलिए देने से मना किया जा सकता है क्योंकि उसने दं.प्र.सं. की धारा 154(3), 156(3), 190 और 200 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपचार का लाभ नहीं उठाया है; सिवाय इसके कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय - 'व्हेलपूल निगम बनाम ट्रेडमार्क पंजीयक, मुंबई और अन्य' (1998) 8 एस.सी.सी.1-में सूचीबद्ध चार अपवाद शिकायतकर्ता/पीड़ित के बचाव में आ जाएं।

(2) ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, जो (2014) 2 एस.सी.सी. 1 में प्रकाशित है, उस मुद्दे से संबंधित नहीं है जिसमें पुलिस को दं.प्र.सं. की धारा 154 के तहत अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु 'पराम्देश की प्रकृति की रिट के अधिकार का दावा किया गया हो, जबकि दं.प्र.सं. की धारा 154(3), 156(3), 190 और 200 के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपचारों का लाभ न उठाया गया हो।

(3) संज्ञेय अपराध के संबंध में प्रथम सूचना देने के बाद, शिकायतकर्ता/पीड़ित, पुलिस अधिकारियों को धारा 154 दं.प्र.सं. के तहत अपने सांविधिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु 'परमादेश रिट' मांगने के अधिकार से



वंचित नहीं हो जाता, भले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज न की गई हो।

(4) जिस प्रस्तावित अभियुक्त के विरुद्ध किसी संज्ञेय अपराध के किए जाने की प्रथम सूचना दी गई है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन दायर उस याचिका में एक आवश्यक पक्षकार नहीं है, जिसमें पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता दं.प्र.सं. की धारा 154 के अधीन अपने सांविधिक कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु 'परमादेश रिट' जारी किए जाने की मांग की गई हो।

6. उपर्युक्त को देखते हुए, यह रिट याचिका इस आधार पर **निरस्त** की जाती है कि 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023' के तहत एक वैकल्पिक और वैधानिक उपचार उपलब्ध है, जिसका लाभ याचिकाकर्ता, यदि उचित समझे, तो उठा सकता है।

(न्यायमूर्ति, श्रीमती बबिता रानी) (न्यायमूर्ति, रजनीश कुमार)

20 मार्च, 2026

एकेके